



कार्योजित महिलाओं के वैवाहिक समायोजन में आने वाली समस्याएँ

डॉ. ज़किया रफत

**एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
आर. बी. डी. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर.**

सारांश :

सभी समाजों में विवाह एक अनिवार्य संस्था रही है। यह संस्था परिवार संस्था की जनक है। परिवार की सफलता वैवाहिक समायोजन पर निर्भर है। परन्तु आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति तथा भूमिकाओं के बारे में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। आधुनिकीकरण व शिक्षा के बढ़ते अवसरों ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। घर से बाहर कार्य करने के कारण कार्योजित महिलाओं पर दोहरा कार्यभार पड़ता है। जो उनके वैवाहिक व पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति की प्रगति व विकास उसके सुखी व सफल वैवाहिक जीवन पर निर्भर करता है। अतः प्रस्तुत शोधपत्र उनके वैवाहिक समायोजन में आने वाली समस्याओं पर केन्द्रित है।

प्रस्तावना :

स्त्री—पुरुष अनेक आकांक्षाओं और उमंगों को लेकर वैवाहिक सम्बन्धों को स्वीकार करते हैं। इन आकांक्षाओं तथा उमंगों की पूर्ति समायोजित वैवाहिक जीवन के द्वारा ही हो सकती है। अर्ल लौमौन कूज के अनुसार, “पति—पत्नी द्वारा अपने विवाह में की गई अपेक्षाओं की पूर्ति ही समायोजन है।”

समायोजन एक मनवैज्ञानिक धारणा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप उसे प्रसन्नता एवं संतोष प्राप्त होता है।

स्मिथ के अनुसार, “एक अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। वह कुण्ठाओं, तनावों और चिन्ताओं को जहां तक सम्मत है, कम करता है।

वैवाहिक समायोजन का अर्थ है विवाह के पश्चात वर—वधू यथार्थ पर आधारित तथा संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करें। इस हेतु वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर समझौता पूर्ण नीति अपनाएं एवं खुली दृष्टि से स्थिति को समझने का प्रयास करें। इससे उनके पारिवारिक जीवन में कुण्ठाओं, तनावों एवं चिन्ताओं में कमी आयेगी।

परिवार की सफलता वैवाहिक समायोजन पर निर्भर है। वैवाहिक समायोजन के अभाव में परिवार टूट जाते हैं। परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार टूटते नहीं है किन्तु वैवाहिक समायोजन के अभाव में परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध मध्यर नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ व अहम् की भावना टकराती है। बच्चों का विकास सामान्य नहीं हो पाता और परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

वर्तमान समय में शिक्षा ग्रहण करने तथा महिलाओं के घर के बाहर कार्य करने से उनके वैवाहिक समायोजन में समस्याएं आ रही है। कार्योजित महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उसे नौकरी के साथ—साथ घर के काम—काज और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी पूर्व की तरह निभानी पड़ती है तथा परम्परागत जिम्मेदारियों के मामले में उसे कोई रियायत नहीं मिलती।



उमा शंकर झा के अनुसार, “यह स्थिति एक महिला के लिए विशेष रूप से कष्टकारी हो जाती है। वह घर से बाहर कार्य तो करती है, परन्तु साथ ही उन्हें परम्परागत स्त्रीत्व के प्रतिरूप से भी बंधना पड़ता है।” डी०पाल का मानना है कि ‘सामाजिक और आर्थिक विकास में सहभागिता के बावजूद एक महिला का स्तर असंतोषजनक है।’ कार्योजित महिला घर और बाहर के कार्यों का निर्वाह भली प्रकार से नहीं कर पाती। उनको इन दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ता है अन्यथा कार्य करने की स्थिति में वैवाहिक व मातृत्व सुख बहुत मुश्किल है।’

इस सबके परिणामस्वरूप उनमें तनाव, निराशा व अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वे कृष्टाग्रस्त हो जाती हैं और उनमें अपने कार्यों के प्रति समायोजन में कठिनाई आती है क्योंकि एक व्यक्ति का विकास उसके सुखी वैवाहिक जीवन पर निर्भर करता है। अतः वर्तमान में कार्योजित महिलाओं के वैवाहिक समायोजन में आ रही समस्याओं को जानने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिलाओं में वैवाहिक समायोजन की स्थिति का पता लगाना।
2. वैवाहिक समायोजन में आने वाली समस्याओं का पता लगाना।

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत अध्ययन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद बिजनौर के बिजनौर नगर में सम्पन्न किया गया है।

अध्ययन विधि :

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक शोध प्ररचना के अन्तर्गत किया गया है। अध्ययन हेतु 25 से 35 वर्ष आयु की 50 इकाईयों का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन विधि द्वारा किया गया। चयनित सूचनादाताओं से आंकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

उपलब्धियां :

प्रस्तुत अध्ययन की निम्न उपलब्धियां रहीं हैं—

सूचनादाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि

1. आयु :

तालिका-1

क्र०सं०	आयु	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	20 – 25	15	30
2	25 – 30	19	38
3	30 – 35	16	32
	कुल	50	100

प्रस्तुत अध्ययन के लिए सूचनादाताओं की आयु संरचना का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि 30 प्रतिशत सूचनादाता 20 से 25 वर्ष, 38 प्रतिशत 25 से 30 वर्ष, एवं 32 प्रतिशत 30 से 35 वर्ष की आयु से सम्बन्धित हैं।

2. शिक्षा :

तालिका-2

क्र०सं०	शिक्षा का स्तर	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	बी०ए०	15	30
2	एम०ए०	10	20

3	एम०ए०, बी०ए८० / बी०टी०सी०	14	28
4	पी०ए८०डी०	05	10
5	एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०	06	12
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका से सूचनादाताओं की शिक्षा के स्तर का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 30 प्रतिशत सूचनादाता बी०ए०, 20 प्रतिशत एम०ए०, 28 प्रतिशत एम०ए०, बी०ए८० / बी०टी०सी०, 10 प्रतिशत पी०ए८०डी० तक शिक्षा प्राप्त है। 12 प्रतिशत सूचनादाताओं ने एम०बी०बी०एस० अथवा बी०डी०एस० किया है।

3. व्यवसाय :

तालिका : 3

क्र०सं०	व्यवसाय	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	प्राइवेट	18	36
2	सरकारी	32	64
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 36 प्रतिशत सूचनादाता प्राइवेट व्यवसायों से सम्बन्धित है तथा 64 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

4. परिवार :

तालिका : 4

क्र०सं०	परिवार	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	एकाकी	16	32
2	संयुक्त	34	68
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका से सूचनादाताओं की परिवारिक स्थिति देखने पर स्पष्ट होता है कि 32 प्रतिशत सूचनादाता एकाकी परिवार से तथा 68 प्रतिशत संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हैं।

5. विवाह के प्रकार :

तालिका : 5

क्र०सं०	विवाह के प्रकार	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	अरेंज मैरिज	40	80
2	लव मैरिज	05	10
3	लव कम अरेंज मैरिज	05	10
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 80 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अरेंज मैरिज की है। 10 प्रतिशत ने लव मैरिज तथा 10 प्रतिशत की लव कम अरेंज मैरिज की है।

अतः निष्कर्ष निकलता है कि आज भी अरेंज मैरिज विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है।

6. जीवन साथी के चुनते समय देखे गये आवश्यक गुण : तालिका – 6

क्र0सं0	आवश्यक गुण	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	सुन्दरता	1	2
2	चरित्र	8	16
3	शिक्षा	13	26
3	व्यवसाय / आर्थिक स्थिति	25	50
3	पारिवारिक पृष्ठभूमि	03	06
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विवाह साथी के चयन में सर्वाधिक 50 प्रतिशत सूचनादाताओं ने वर के व्यवसाय व आर्थिक स्थिति को महत्व दिया। 16 प्रतिशत ने सूचनादाताओं ने चरित्र, 26 प्रतिशत ने शिक्षा, 6 प्रतिशत ने पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा केवल 2 प्रतिशत ने सुन्दरता को महत्व दिया।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में सूचनादाताओं व उनके माता-पिता द्वारा वर के परिवार व उसकी सुन्दरता को महत्व न देकर उसकी शिक्षा, व्यवसाय व आर्थिक स्थिति को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

7. विवाह के बारे में राय :

तालिका – 7

क्र0सं0	विवाह	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	एक अटूट बन्धन	30	60
2	एक समझौता	08	16
3	मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध	12	24
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका में आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आज भी सर्वाधिक 60 प्रतिशत सूचनादाता विवाह को अटूट बन्धन मानती है जबकि 16 प्रतिशत के अनुसार विवाह एक समझौता है और 24 प्रतिशत का मानना है कि यह पति-पत्नी का मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है।

अतः निष्कर्ष निकलता है कि सदैव में विवाह को जन्म जन्मांतर का सम्बन्ध समझने वाली सोच अब बदल रही है। शिक्षित कार्योजित महिलाएं अब इसे समझौता व मैत्री सम्बन्ध समझने लगी हैं।

8. वैवाहिक समायोजन की आवश्यकता :

तालिका – 8

क्र0सं0	वैवाहिक समायोजन आवश्यक	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	49	98
2	नहीं	01	02
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़े दर्शाते हैं कि 98 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि वैवाहिक समायोजन आवश्यक है जबकि मात्र 2 प्रतिशत इससे असहमत हैं।

9. वैवाहिक जीवन से सन्तुष्टि :

तालिका – 9

क्र0सं0	वैवाहिक जीवन से सन्तुष्टि	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	30	60
2	नहीं	20	40
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि सर्वाधिक 60 प्रतिशत सूचनादाता अपने पति व विवाह से सन्तुष्ट हैं जबकि 40 प्रतिशत संतुष्ट नहीं हैं।

वैवाहिक समायोजन में समस्याएँ :

प्रस्तुत अध्ययन के लिए किये गये सर्वे के दौरान सूचनादाताओं को वैवाहिक समायोजन करने में निम्न समस्याएं आती हैं।

1. पति का माँ के प्रति लगाव

तालिका – 10

क्र0सं0	माँ के प्रति लगाव	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	अधिक	35	70
2	सामान्य	15	30
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 70 प्रतिशत सूचनादाताओं के पति अपनी माँ के प्रति अधिक तथा 30 प्रतिशत के सामान्य लगाव रखते हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह भी तथ्य सामने आये कि जिन परिवारों में पतियों का लगाव माँ के प्रति अधिक है वहां पत्नियां अपने को उपेक्षित समझती हैं। पति के माँ के कहने में चलने पर असमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है।

2. पति के दायित्व निर्वहन में लापरवाही :

तालिका – 11

क्र0सं0	लापरवाही करते हैं	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	28	56
2	नहीं	22	44
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि सर्वाधिक 56 प्रतिशत सूचनादाताओं के पति अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं। जबकि 44 प्रतिशत के पति लापरवाही नहीं बरतते। अतः जिन परिवारों में पति अपने दायित्वों को पूरा करने में लापरवाही बरते हैं वहां समायोजन में कठिनाई आती है।

3. आदतों व रुचियों में भिन्नता :

तालिका – 12

क्र0सं0	रुचियों में भिन्नता	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	32	64
2	नहीं	18	36
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 64 प्रतिशत सूचनादाताओं को पति की आदतों व रुचियों में भिन्नता के कारण सामंजस्य करने में कठिनाई आती है जबकि 36 प्रतिशत सूचनादाताओं के समक्ष ऐसी कठिनाई नहीं है वे पति की भिन्न आदतों व रुचियों के बावजूद भी सामंजस्य कर लेती हैं।

4. ससुराल में नौकरी को लेकर विरोध :

तालिका – 13

क्र0सं0	विवाद	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	27	54
2	नहीं	23	46
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका में सूचनादाताओं की नौकरी करने को लेकर ससुराल वालों द्वारा विरोध की स्थिति देखने पर ज्ञात होता है कि 54 प्रतिशत सूचनादाताओं के ससुराली उनकी नौकरी का विरोध करते हैं जबकि 46 प्रतिशत के ससुराल में उनकी नौकरी करने को लेकर कोई विरोध नहीं है।

5. सास—बहू सम्बन्ध :

तालिका – 14

क्र0सं0	सम्बन्ध	इकाई संख्या	प्रतिशत
1	तनावपूर्ण	35	70
2	मैत्रीपूर्ण	15	30
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 70 प्रतिशत सूचनादाताओं के अपनी सास के साथ सम्बन्ध तनावपूर्ण हैं। जबकि 30 प्रतिशत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह भी पता चला कि सास बहू में तनाव का कारण सन्तान, गृह कार्य आदि है।

सन्तान :

प्रस्तुत अध्ययन में सूचनादाताओं के समक्ष वैवाहिक समायोजन में पति—पत्नी के बीच सन्तान की संख्या को लेकर भी मतभेद पाये गये। 30 प्रतिशत पति अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध मात्र एक ही सन्तान चाहते हैं जबकि 60 प्रतिशत पत्नियां दो सन्तानों की पक्षधर हैं। 10 प्रतिशत सूचनादाता दो बच्चे चाहती हैं पर उनके पतियों को अधिक सन्तान चाहिये।

सर्वेक्षण के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि अधिकांश सूचनादाताओं के दृष्टिकोण से सन्तान में एक पुत्र अवश्य होना चाहिए।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वैवाहिक समायोजन की आवश्यकता है। परन्तु वर्तमान में उच्च शिक्षित कार्योजित महिलाओं की सोच में विवाह को लेकर परिवर्तन आया है वे अब इसे अटूट बन्धन मानने की अपेक्षा एक समझौता और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध मानने लगी हैं। वे तथा उनके माता—पिता वर के चयन में उसकी शिक्षा, व्यवसाय व आर्थिक स्थिति को महत्व देते हैं। यद्यपि आज भी अधिकांश महिलाओं की अरेज मैरिज होती है। फिर भी उनके वैवाहिक समायोजन में कठिनाईयां आती हैं। जैसे पतियों का माँ के प्रति अधिक लगाव, पति का विवाह के बाद दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, ससुराल में बहू की नौकरी का विरोध, सास से तनावपूर्ण सम्बन्ध, सन्तानों को लेकर पति से मतभेद आदि।

संदर्भ :

1. चौधरी एवं डी० पाल (1991) “वुमैन वेलफेर एंड डेवलपमेंट : ए सोर्स बुक” इंटर इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 59
2. भद्रौरिया, मृदुला (1997), “वुमैन इन इंडिया”, ए०पी०एच० पब्लिशिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली, 82
3. चक्रवर्ती, कृष्णा, “दि कन्प्लीविटंग वर्ल्ड आफ वर्किंग मदर”, 46–47
4. झा, उमा शंकर एवं प्रेमलता (1998), “इंडियन वुमैन टूडे, ट्रेडीशन, मॉडर्निटी एवं चैलेंजेस” काल-3, कृष्णा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 150
5. किरन बाला, शबनम (2017), ‘विवाह के परिवर्तित स्वरूप एवं छात्राओं की मनोवृत्ति एक विश्लेषण’, अपराजिता शोध पत्रिका, वाल्यूम-3, जनवरी-दिसम्बर, 41–44
6. प्रकाश, रेनू (2018) “कार्यरत महिलाओं में तनाव उत्पन्न करने वाली कार्यगत परिस्थितियां : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण” राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 20, अंक 1, जन०-जून, 39–48
7. सिंह ऋचा एवं उदयभान सिंह (2018), “कार्यरत महिलाओं के समक्ष व्यवसाय और गृह का भूमिका द्वन्द्व” वर्ष 20, अंक 1, जन०-जून, 102–107.